



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129070

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16031 वर्ष 2026

राजेश कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: सूर्य भान यादव, औशिम लूथरा, हरिश्चंद्र यादव, उत्कर्षणी सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: रवि शंकर त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर-शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन थाना उसावां, जिला बदायूँ से संबंधित वाद अपराध संख्या- 102 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 109(1), 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 117(2), 118(1) बी.एन.एस. में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी के कथानक के अनुसार, कथित घटना दिनांक 25.06.2025 को हुई थी, जबकि प्राथमिकी दिनांक 01.07.2025 को दर्ज की गई थी। इसके पश्चात, प्रथम सूचनादाता ने दावा किया कि घटना वास्तव में दिनांक 24.06.2025 को हुई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज कराने में हुए विलंब को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, और आवेदक को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। विवेचना के दौरान जब घायल गवाहों, अर्थात् जनवेश यादव और रमन पाल के बयान दर्ज किए गए, तो उन्होंने कहा कि जनवेश यादव के सिर में आई चोट सह-अभियुक्त रवेश द्वारा कारित की गई थी। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के भाई ने भी दिनांक 24.06.2025 की उसी घटना के संबंध में दिनांक 16.07.2025 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो थाना उसावां, जिला बदायूँ में वाद अपराध संख्या- 110 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पक्ष से एक व्यक्ति, अर्थात् कर्मवीर (आवेदक के पिता) को गंभीर चोटें आईं। एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, कर्मवीर की 10वीं पसली में फ्रैक्चर हुआ था। पसली के फ्रैक्चर के अलावा, उन्हें पार्श्विका हड्डी के दाहिने हिस्से में भी फ्रैक्चर हुआ था।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामला एक क्रॉस-केस है और दिनांक 24.06.2025 की घटना में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आईं। यह विचारण न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का कार्य है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन सा पक्ष आक्रामक था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 27.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त ब्रजकिशोर उर्फ भंवरपाल उर्फ भँवरपाल का जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 12087 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के माध्यम से खारिज किया जा चुका है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के पक्ष द्वारा सूचनादाता के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- राजेश कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

12. हालांकि, इस न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान मामले का विचारण, विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यथासंभव शीघ्रता से समाप्त किया जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"